

(1) **मनोविज्ञान और नीतिशास्त्र** :—हम पहले बता चुके हैं कि मनो-विज्ञान मनुष्य की मानसिक क्रियाओं का विज्ञान है। कुछ विचारक मनो-विज्ञान को नीतिशास्त्र का मूल आधार मानते हैं, क्योंकि नीतिशास्त्र मनुष्य के जिन ऐच्छिक कर्मों के विषय में निर्णय देता है मनोविज्ञान उन कर्मों के स्वरूप तथा उनकी प्रक्रिया पर विचार करता है। ऐच्छिक कर्मों का ठीक ठीक मूल्यांकन करने के लिए यह समझना आवश्यक है कि ये कर्म क्या हैं और हम इन्हें कैसे करते हैं। मनोविज्ञान हमें बताता है कि देखना, सुनना, जानना, सीखना आदि क्रियाएँ क्या हैं और हम इन्हें कैसे करते हैं। इसी प्रकार मनोविज्ञान का अध्ययन कर के हम यह जान सकते हैं कि हर्ष, शोक, प्रेम, क्रोध, भय, ईर्ष्या आदि सम्बेगों का स्वरूप क्या है और हम इनका अनुभव कैसे करते हैं। स्पष्ट है कि मनोविज्ञान का उद्देश्य हमें मनुष्य के स्वभाव, उसकी सम्भावनाओं तथा सीमाओं का ठीक ठीक ज्ञान कराना है। मानव-स्वभाव का यह सम्पूर्ण वास्तविक ज्ञान नीतिशास्त्र के लिए अनिवार्य है, क्योंकि इसके बिना हम मनुष्य के चरित्र तथा कर्मों के सम्बंध में तर्कसंगत नैतिक निर्णय नहीं दे सकते। जब तक हम यह ठीक ठीक न समझ लें कि हमारे लिए कैसे और क्या करना वास्तव में सम्भव है तब तक यह कहना निरर्थक है कि हमें कैसे और क्या करना चाहिये। इस प्रकार मनुष्य के उस संकल्प स्वातंत्र्य के स्वरूप तथा उसकी सीमा का ठीक-ठीक ज्ञान हमें मनो-विज्ञान की सहायता से ही प्राप्त हो सकता है जो नैतिक निर्णयों का अनिवार्य मूल आधार है। अनेक दार्शनिकों ने मनुष्य के स्वभाव एवं उसकी वास्तविक इच्छाओं के आधार पर ही अपने नैतिक सिद्धान्तों का निरूपण किया है। उदाहरण के लिए सुखवादियों के मतानुसार सुख ही मानव-जीवन का परम लक्ष्य है, क्योंकि सभी मनुष्य वास्तव में सदैव सुख की कामना करते हैं और दुःख से बचने का प्रयास करते हैं। इसके विपरीत मनुष्य को मूलतः बुद्धिप्रधान प्राणी मान कर बुद्धिवादियों ने यह कहा है कि मानव-जीवन का परम लक्ष्य अपनी समस्त भावनाओं का दमन करके सदैव बुद्धिसंगत जीवन व्यतीत करना ही है। इन उदाहरणों से स्पष्ट है कि विभिन्न नैतिक सिद्धान्त मानव-जीवन के सम्बंध में दार्शनिकों की भिन्न-भिन्न प्राक्कल्पनाओं पर आधारित हैं। अतः यह कहा जा सकता है कि मनोविज्ञान नीतिशास्त्र का एक मुख्य आधार है तथा इन दोनों में बहुत घनिष्ठ सम्बंध है।

परंतु इस का यह अर्थ नहीं है कि नीतिशास्त्र मनोविज्ञान की शाखा मात्र है। वस्तुतः ये दोनों परस्पर घनिष्ठ रूप से सम्बद्ध होते हुए भी एक दूसरे से स्वतंत्र और भिन्न हैं। आदर्शमूलक विज्ञान होने के कारण नीतिशास्त्र हमें यह

बताता है कि हमारा कर्तव्य क्या है—अर्थात् हमें क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। इसके विपरीत मनोविज्ञान वर्णनात्मक विज्ञान है, अतः इस का उद्देश्य हमें केवल यही बताना है कि हम वास्तव में कैसे और क्या करते हैं अथवा कर सकते हैं। यह हमारे कर्मों का मूल्यांकन तथा कर्तव्यों का निर्धारण नहीं करता। इसका कार्य हमारे लिए आदर्शों का प्रतिपादन करना भी नहीं है। हम जैसा जो कुछ करते या कर सकते हैं उसी का तथ्यात्मक वर्णन करना ही मनोविज्ञान का उद्देश्य है। इस मौलिक भेद के अतिरिक्त नीतिशास्त्र तथा मनोविज्ञान के क्षेत्र की व्यापकता में भी अंतर है। मनोविज्ञान का क्षेत्र नीतिशास्त्र के क्षेत्र की अपेक्षा अधिक व्यापक है। जैसा कि पहले बताया जा चुका है, नीतिशास्त्र केवल समाज में रहने वाले सामान्य मनुष्यों के चरित्र तथा कर्मों के विषय में निर्णय देकर उनका मूल्यांकन करता है, अतः उसका सम्बंध मुख्यतः मानवजीवन के क्रियात्मक पक्ष से ही है। परंतु मनोविज्ञान मानव-जीवन के क्रियात्मक पक्ष के साथ-साथ उसके भावनात्मक तथा ज्ञानात्मक पक्षों का भी अध्ययन करता है। वह सामान्य तथा असामान्य सभी मनुष्यों—जिनमें शिशु, बालक, किशोर, युवा, वृद्ध, मानसिक रोगी, प्रतिभाशाली व्यक्ति आदि सभी सम्मिलित हैं—के समस्त सम्बेगों एवं कर्मों का अध्ययन करता है। यही नहीं, वह पशुओं के स्वभाव तथा उन की क्रियाओं का भी अध्ययन करता है और इस के आधार पर मनुष्यों के व्यवहार के सम्बंध में कुछ सिद्धांतों की स्थापना करने का प्रयास करता है। इन सब तथ्यों से यह प्रामाणित होता है कि मनोविज्ञान का क्षेत्र नीतिशास्त्र के क्षेत्र की अपेक्षा अधिक विस्तृत है। नीतिशास्त्र और मनोविज्ञान के क्षेत्र की इस व्यापकता के अंतर के अतिरिक्त इन दोनों की विधि भी भिन्न है। वर्णनात्मक विज्ञान होने के कारण मनोविज्ञान मुख्यतः प्रयोगात्मक विधि का उपयोग करता है, किंतु आदर्शमूलक विज्ञान होने के कारण नीतिशास्त्र मानवीय कर्मों के मूल्यांकन तथा कर्तव्यों के निर्धारण के लिए इस वैज्ञानिक विधि का उपयोग नहीं कर सकता। इस प्रकार यह स्पष्ट है कि नीतिशास्त्र तथा मनोविज्ञान में घनिष्ठ सम्बंध होने के साथ-साथ पर्याप्त भिन्नता भी है।